प्रोजैक्ट एप्रेजल हेतु सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों के इम्पैनलमेंट हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भारत सरकार, वाणिज्यि औद्योगिक मंत्रालय (उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड राज्य के लिए अधिसूचित औद्योगिक विकास योजना–2017 के अन्तर्गत परियोजनाओं के स्वतः वित्त पोषित इकाईयों के वित्तीय एप्रेजल (Financial Appraisal) तैयार करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के चीफ मैनेजर अथवा उससे उच्च स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 20–12–2020 तक प्रस्ताव आमंत्रित हैं। आवेदन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश एवं योजना का विवरण विभागीय वैबसाइट www.doiuk.org पर उपलब्ध है।

निदेशक उद्योग,
उत्तराखण्ड।

प्रौजेक्ट एप्रेजल हेतु सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियो का इम्पैनलमेंट

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत औद्योगिक विकास योजना–2017 के अन्तर्गत परियोजनाओं का बैंक एप्रेजल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। स्वतः वित्त पोषित इकाईयों के मामलों में बैंक/वित्तीय संस्थायें बैंक एप्रेजल नहीं करती हैं। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इनका एप्रेजल सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों से कराया जाय।

राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

1. **कार्यक्षेत्र**–औद्योगिक विकास योजना –2017 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु आवेदन करने वाली प्रदेश की स्वतः वित्त पोषित इकाईयों की परियोजनाओं का वित्तीय एप्रेजल करना।

2. **पात्रता –**
   1. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के चीफ मैनेजर अथवा उससे उच्च स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु अधिकतम 65 वर्ष हो।
   2. वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
   3. उनका सेवा रिकॉर्ड उत्तम रहा हो।
   4. आवेदक को उच्च स्तर पर औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के वित्तपोषण में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।

3. **आयु सीमा –**

सामान्यतः सूचीबद्ध किये जाने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के बैंक/वित्तीय संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में यथाः योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

4. **कार्य अवधि –**
   1. सूचीबद्ध किये गये व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा। आवश्यकता होने पर समीक्षा के पश्चात् कार्य अवधि में छः माह के लिए विस्तार किया जाएगा।

2. सूचीबद्ध किये गये व्यक्ति पूर्णतः अस्थायी (गैर–आधिकारिक) प्रकृति के होंगे। उनके नामांकन को महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

5. सूचीबद्ध आवेदकों को देय मानदेय–

विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गये व्यक्तियों की दो सदस्यीय पृथक–पृथक टीम गठित की जायेगी और गठित टीम द्वारा स्वतः वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों के आई.डी.एस. 2017 के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं का वित्तीय एप्रेजल (Financial Appraisal) किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय एप्रेजल हेतु शुल्क का निर्धारण आवेदकों से प्राप्त अभिरूचि के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अन्य प्रदेशों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क/मानदेय के दृष्टिगत किया जायेगा और सम्बन्धित इकाईयों द्वारा वित्तीय एप्रेजल रिपोर्ट देने से पहले निर्धारित शुल्क का भुगतान सीधे सूचीबद्ध व्यक्तियों को किया जायेगा। इकाईयों द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं की जायेगी और इकाइयों तथा सूचीबद्ध सदस्यों के बीच किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विभाग का सीधे कोई हस्तक्षेप अथवा भूमिका नहीं होगी।

मानदेय का निर्धारण अन्य राज्य में प्रचलित दरों/आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर किया जायेगा। आवेदक अपेक्षित मानदेय प्रति परियोजना निम्नलिखित प्रारूप पर अंकित करेंगे:–

क्रम संख्या	परियोजना लागत	प्रति परियोजना अपेक्षित मानदेय की राशि (प्रति अधिकारी)/प्रति परियोजना
1.	रू. 5 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी* में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।	रू. .....
2.	रू. 5 से 10 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी* में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।	रू. .....
3.	रू. 10 करोड़ से अधिक के प्लांट व मशीनरी* में पूंजी निवेश की परियोजना	रू. .....

* सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में भवन की लागत भी अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत सम्मिलित होगी।

परियोजनाओं का वित्तीय एप्रेजल, इकाईयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। यदि परियोजनाओं के वित्तीय एप्रेजल के लिए इकाईयों का स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, तो एप्रेजल हेतु निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण हेतु यात्रा में किये गये व्यय का अतिरिक्त वास्तविक भुगतान इकाईयों द्वारा स्वयं सूचीबद्ध सदस्य को किया जायेगा।

6. अन्य नियम और शर्तें –

सूचीबद्ध सदस्य निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार शासित होगाः–

1. सूचीबद्ध सदस्य को एप्रेजल तैयार किये जाने हेतु एकत्र की गई जानकारी/दस्तावेजों/सूचना/डेटा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और वे उनका उपयोग केवल मूल्यांकन रिपोर्ट के उद्देश्य हेतु करेगा।
2. वित्तीय एप्रेजल के लिए 15 दिनों की समयावधि होगी।

7. विभाग के अधिकार –

विभाग के पास इस विज्ञापन को रद्द करने अथवा किसी भी स्तर पर स्पष्टीकरण जारी किये बिना सूचीबद्ध व्यक्ति के नामांकन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र/प्रस्ताव को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. नामांकन की समाप्ति –

विभाग सूचीबद्ध सदस्यों की टीम का पुनर्गठन एवं समाप्ति बिना किसी नोटिस के किसी भी समय निम्नांकित शर्तों के आधार पर कर सकता है:

1. सूचीबद्ध सदस्य निर्धारित कार्यों को सम्पादित करने में असमर्थ है।
2. निर्धारित कार्यों की गुणवत्ता विभाग के मापदण्डों के अनुरूप न हो।
3. सूचीबद्ध सदस्य इकाई की परियोजना की मूल्यांकन/एप्रेजल रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करने में असमर्थ हो।
4. सूचीबद्ध सदस्य की ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है।
5. अन्य कोई यथोचित कारण।

योजना की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।